

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

20-10-22 परावली पेशा दुई वकील अपीलार्थी अनुपस्थित।
वकील रेस्पॉडेन्ट उपस्थित। बार-बार अज्ञान
दिलवाए गयी साथ 4-00 P.M. बजे चुके ही
इन्तजाव किया एवं बार-बार पुनः अज्ञान
दिलवाए गयी बार-बार अज्ञान दिलवाने
के बावजूद अपीलार्थी एवं वकील अपीलार्थी
में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी।
अदम फेरवी में अपीलार्थी की अपील खारिज
की जाती है।
परावली फेरवाल शुमार होकर नम्बर से
कम है।

Janak

उपखण्ड अधिकारी
रूपनाथ (अजमेर)

